



RAISE THE WAGE LA

LA न्यूनम वेतन (मिनीमम वेज़) व भुगतान सहित रोग अवकाश (पेड सिक लीव) संबंधी एलए का तथ्य-पत्र



न्यूनम वेतन अध्यादेश
(मिनीमम वेज़
ऑर्डिनैंस)

1 जुलाई, 2016 से प्रभावी इस अध्यादेश के अनुसार, लॉस एंजेल्स शहर के भीतर किसी निर्दिष्ट सप्ताह में कम से कम दो घंटे काम करने वाला कर्मचारी लॉस एंजेल्स के न्यूनतम वेतन व रोग समय संबंधी लाभ अर्जित करने का पात्र होता है।



भुगतान सहित रोग
अवकाश (पीएसएल)

भुगतान सहित रोग अवकाश देने के दो तरीके हैं:

- 1) एक वर्ष के लिए 48 घंटे दिये जाते हैं या
- 2) काम के प्रत्येक 30 घंटे के लिए एक घंटे का पीएसएल दिया जाता है उपार्जित किये गये व अप्रयुक्त पीएसएल को अगले वर्ष में शामिल किया जाना चाहिए और इसपर न्यूनतम 72 घंटे की सीमा लागू हो सकती है।



स्थगन (डिफरल)

1 जुलाई, 2016 को 26 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे लॉस एंजेल्स के न्यूनम वेतन व भुगतान सहित रोग अवकाश लाभ प्रदान करें। 25 या इससे कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए 1 जुलाई, 2017 से इसका पालन करना आवश्यक है। 26 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कुछ अलाभकारी निगम (नॉन-प्रॉफिट कॉरपोरेशन) स्वीकृति मिलने पर आस्थगित न्यूनतम वेतन दर तालिका के अनुसार ये लाभ देने के पात्र हो सकते हैं।



दावे

आप ऑफिस ऑफ वेज़ स्टैंडर्ड के पास व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा, ऑनलाइन अथवा MyLA 311 ऐप पर वेतन या भुगतान सहित रोग अवकाश के दावे अथवा बदले की कार्रवाई की सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

26 या इससे अधिक
कर्मचारियों वाले नियोक्ता

7/1/16	7/1/17	7/1/18	7/1/19	7/1/20	7/1/21
\$10.50	\$12.00	\$13.25	\$14.25	\$15.00	\$15.00

25 या इससे कम कर्मचारियों वाले
नियोक्ता
या 26 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले कुछ
अलाभकारी निगम जिन्हें आस्थगित दर पर भुगतान करने
की अनुमति मिली है

स्थगित	\$10.50	\$12.00	\$13.25	\$14.25	\$15.00
--------	---------	---------	---------	---------	---------

अधिक जानकारी के लिए ऑफिस ऑफ वेज़ स्टैंडर्ड से संपर्क करें

☎ 1-844-WAGESLA (924-3752) ✉ WAGESLA@LACITY.ORG 🌐 WAGESLA.LACITY.ORG

अमेरिकंस विद डिसेबिलिटी एक्ट के टाइटल II के अंतर्गत एक सुरक्षित निकाय (क्वर्ड एंटीटी) के तौर पर, लॉस एंजेल्स शहर द्वारा विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है और अनुरोध करने पर इसके कार्यक्रमों, सेवाओं और गतिविधियों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समुचित सामंजस्य प्रदान किया जाएगा।

